



कृषि विज्ञान केन्द्र, अलवर-1, नौगांवा

(निदेशालय प्रसार शिक्षा)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)



नौगांवा — 301025, अलवर (राजस्थान), दूरभाष-01468-294276, 9424275467 Email:- kvknavgaon@gmail.com

क/वरि.वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2025-26/164-169

नौगांवा, (अलवर) दिनांक:17.07.2025

सीमित निविदा सूचना

कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा, जिला अलवर-301025 (राजस्थान) के लिए पोडियम एवं साउण्ड सिस्टम क्रय करने हेतु सीमित निविदाएं निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है। पंजीकृत फर्म/कम्पनी/आपूर्तिकर्ता निर्धारित प्रपत्र में सीलबन्द निविदाये दो लिफाफा पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। सीमित निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा सीमित निविदा प्रपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknu.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹)	निविदा शुल्क (₹)	बोली प्रतिभूति राशि (₹)	सीमित निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	सीमित निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा, जिला अलवर में पोडियम एवं साउण्ड सिस्टम की आपूर्ति का कार्य।	2.00 लाख	500.00	5000.00	28.07.2025 दोपहर 12.00 बजे तक	28.07.2025 दोपहर 01.30 बजे
NIB Code: SKN2526A0142, UBN: SKN2526GSLB00145						

निविदादाता को सीमित निविदा प्रपत्र समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 500/- (नकद या डी.डी.) एवं बोली प्रतिभूति राशि रु. 5000/- डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) के रूप में जो कि Senior Scientist and Head, KVK Navgaon (वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा, अलवर) के पक्ष में देय हो, दिनांक 28.07.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा (अलवर) के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है। इस सीमित निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

Senior Scientist & Head
KVK, ALWAR-1

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
2. श्रीमान निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस सीमित निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknu.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराये।
4. संयोजक/सदस्य, संस्था सलाहकार समिति, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा।
5. सूचना पट्ट।
6. रक्षित फाइल/निविदा फाइल।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष



कृषि विज्ञान केन्द्र, अलवर-1, नौगांवा (निदेशालय प्रसार शिक्षा) (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)



नौगांवा — 301025, अलवर (राजस्थान), दूरभाष-01468-294276, 9424275467 Email:- kvknavgaon@gmail.com

क/वरि.वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2025-26/164-169

नौगांवा, (अलवर) दिनांक:17.07.2025

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

कार्य की अनुमानित लागत — रुपये 2.00 लाख

बोली प्रतिभूति राशि — रुपये 5000/- डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.)

सीमित निविदा प्रपत्र शुल्क — रुपये 500/- (नकद या डी.डी.)

सीमित निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि — 28.07.2025 समय — दोपहर 12.00 बजे तक

कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा में पोडियम एवं साउण्ड सिस्टम आपूर्ति के लिए सीमित निविदा

- सीमित निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम
- कार्यालय/डाक का पता एवं मोबाईल नम्बर
- सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर
- किसको संबोधित किया गया—वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा (अलवर)
- सीमित निविदा सूचना संदर्भ — दिनांक.....
- सीमित निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 500/- (नकद या डी.डी.) एवं बोली प्रतिभूति राशि रु. 5000/- (अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) के रूप में जो कि Senior Scientist and Head, KVK Navgaon (वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा, अलवर) के पक्ष में देय हो, इस प्रपत्र के साथ संलग्न है।
- हमें वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा (अलवर) द्वारा जारी की गई सीमित निविदा सूचना संख्या 164-169 दिनांक 17.07.2025 में वर्णित तथा संलग्न शीट में दी गयी सभी शर्तें मंजूर हैं तथा हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
- सीमित निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में दर्शाये गये कार्य / सामग्री संबंधी दरें सभी करों एवं आनुशंगिक प्रभारों सहित अंकित हैं।
- निविदादाता फर्म/कम्पनी/ आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न है।
- सीमित निविदा प्रपत्र के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की प्रति संलग्न है, जो तकनीकी बिड खोलने की तिथि को वैध है।
- पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का स्वघोषणा प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'द') संलग्न है।
- सीमित निविदा प्रपत्र के साथ विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता आदि का घोषणा प्रपत्र 'ल' संलग्न है।
- सीमित निविदा प्रपत्र के साथ FALL CLAUSE प्रमाण प्रपत्र 'व' संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Senior Scientist & Head
KVK, ALWAR-1



कृषि विज्ञान केन्द्र, अलवर-1, नौगांवा

(निदेशालय प्रसार शिक्षा)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)



नौगांवा – 301025, अलवर (राजस्थान), दूरभाष-01468-294276, 9424275467 Email:- kvknavgaon@gmail.com

कं/वरि.वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2025-26/164-169

नौगांवा, (अलवर) दिनांक:17.07.2025

कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा में पोडियम एवं साउण्ड सिस्टम आपूर्ति के लिए सीमित निविदा

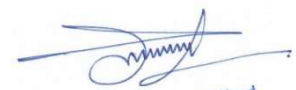
कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा, जिला अलवर- 301025 के लिए पोडियम एवं साउण्ड सिस्टम क्रय करने हेतु सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता/आपूर्तिकर्ता निर्धारित प्रपत्र में सीलबन्द निविदाये दो लिफाफा पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। सीमित निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा सीमित निविदा प्रपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknaau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 500/- (नकद या डी.डी.) एवं बोली प्रतिभूति राशि रु. 5000/- डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) के रूप में दिनांक 28.07.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक Senior Scientist and Head, KVK Navgaon (वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा, अलवर) के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है। डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) Senior Scientist and Head, KVK Navgaon, Alwar के पक्ष में देय होगा।

A. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

1. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर का विवरण देना अनिवार्य है।

B. कार्यों का विवरण एवं निविदा की शर्तें

1. सफल निविदादाता को प्रपत्र 'र' में दिए गए तकनीकी मापदण्डों के अनुसार सभी पोडियम एवं साउण्ड सिस्टम की आपूर्ति कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा (अलवर) 301025 में 20 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को आपूर्ति पश्चात पोडियम एवं साउण्ड सिस्टम की सम्पूर्ण तकनीकी जानकारी तथा उनका संचालन एवं रखरखाव की जानकारी देनी होगी।
3. निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सभी पोडियम एवं साउण्ड सिस्टम उच्च गुणवत्ता पूर्ण होना आवश्यक है।
4. निविदादाता को दो लिफाफा पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) में निविदा प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता तकनीकी दस्तावेज लिफाफा नं 1 में प्रस्तुत करे तथा लिफाफे के ऊपर तकनीकी बिड लिखे। दूसरे लिफाफे (लिफाफा नं 2) में निविदादाता प्रपत्र 'ब' में अपनी दरें प्रस्तुत करे तथा लिफाफे के ऊपर वित्तीय बिड लिखे। दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बन्द कर कार्यालय में प्रस्तुत किया जावे।
5. दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा (अलवर) द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
6. बिड प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के अभाव में बिड पर विचार नहीं किया जाएगा एवं बिड अस्वीकृत कर दी जाएगी।
7. बिड फार्म में किसी प्रकार की काँट छॉट व ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का संशोधन अस्वीकार्य होगा।


Senior Scientist & Head
KVK, ALWAR-1

8. निविदादाता को सीमित निविदा प्रपत्र के साथ विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता आदि का घोषणा पत्र (प्रपत्र 'ल') सलंगन करना होगा।
9. निविदादाता को यह लिखकर देना होगा कि उससे द्वारा निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को सामग्री नहीं दी जाएगी। इसके लिए PRICE FALL CLAUSE प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'व') सलंगन करना होगा।
10. **अनुबंध एवं कार्य निष्पादन**
(अ) सफल बोलीदाता को कार्यादेश अवधि के अन्दर कार्य सम्पादन वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा (अलवर) के की देखरेख में करनी होगी।

अन्य शर्तें

I. निविदा का खोला जाना

सीमित निविदा प्रपत्रों को दिनांक **28.07.2025** को दोपहर **12.00** बजे तक कार्यालय वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा (अलवर) में जमा करवाना होगा। निविदा प्रपत्र को दिनांक **28.07.2025** को दोपहर **01.30** बजे निविदा समिति द्वारा एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

II. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

सीमित निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा (अलवर) को होंगे। यह अनिवार्य नहीं की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएँ। एक बार निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नहीं होगा। पर्याप्त बोली प्रतिभूति राशि, निविदा शुल्क के भौतिक रूप से प्राप्त करने के अभाव में निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएंगे। निविदा में प्राप्त दरें बातचीत/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होंगे जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होंगे।

III. अनुमानित राशि का आंकलन

प्रपत्र "ब" में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि रुपये 2.00 लाख है। संस्थान द्वारा आयकर स्रोत पर काटकर अथवा विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

IV. भुगतान की शर्तें

सीमित निविदा का आपूर्ति कार्य पूर्ण होने पर निविदादाता को उक्त कार्य का बिल वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा (अलवर) के नाम तीन प्रतियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये गए सभी पोडियम एवं साउण्ड सिस्टम उपकरणों का उपापन समिति द्वारा तकनीकी मापदण्डों के अनुसार सही पाए जाने पर ही बिल का भुगतान किया जायेगा। निविदादाता को कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

V. कार्यादेश का निरस्तीकरण

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा (अलवर) को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होंगे लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

VI. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय सीमित निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित सीमित निविदाएँ निरस्त की


Senior Scientist & Head
KVK, ALWAR-1

जा सकती है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती संस्थान द्वारा की जाएगी।

VII. निविदा की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के नियम 68 " सीमित बिड़ के लिए बिड़ एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013" के अनुसार लागू होंगी।

VIII. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी सीमित निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

IX. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात्:

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

X. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्त, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।

(ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

XI. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन


Senior Scientist & Head
KVK, ALWAR-1

को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाहियों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,-
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के माफत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

XII. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण — प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।


Senior Scientist & Head
KVX, ALWAR-1

1. **अपील:-** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनि चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘य’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

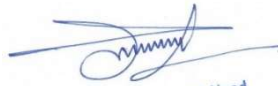
(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।


Senior Scientist & Head
KVK, ALWAR-1

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्वास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. अपील का प्रारूप –

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप **(प्रपत्र – 'य')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. अपील फाइल करने के लिए फीस –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

XIX. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, अलवर (राजस्थान) होगा।



Senior Scientist & Head
KVK, ALWAR-1

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(लिफाफा नं. 1 में रखना है)

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने/ होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(लिफाफा नं. 1 में रखना है)

FORM NO. 1: (See rule 83 of RTPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No..... of

Before the (First/Second Appellant Authority)

1. Particulars of appellant:
 - (i) Name of the appellant
 - (ii) Official Address, if any
 - (iii) Residential address
2. Name and address of the respondent (s):
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (endorse copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the Appellant is aggrieved.
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.
6. Ground of appeal
.....
.....
.....
.....
..... (Supported by an affidavit)
7. Prayer
.....
.....
.....
.....

Place

Date

.....
Appellant's Signature

**कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा, जिला अलवर में पोडियम एवं साउण्ड सिस्टम की
आपूर्ति करने के लिए सीमित निविदा हेतु तकनीकी मापदण्ड**

Name of Item	Specifications
All In One Smart Podium	- Podium height : 1150 mm or higher of wooden/metal - Output : Two or more additional Speaker set in training hall for 40 x 70 feet size of KVK - Microphone and reading light at Podium top - Built in Dual Channel / Wireless receiver /Bluetooth/USB Port /HDMI Port/SD card slot - Wireless handheld transmitter or mic - Connectivity : USB 2.0 LAN - Fitted speaker / Amplifier in Training hall with complete work - Facility to connect auxiliary source
Audio Podium	- Podium height : 1150 mm or higher - Podium with stable base - Output : 40 Watts or higher - Microphone and reading light at Podium top - Built in Dual Channel / Wireless receiver /Bluetooth/USB Port /SD card slot/HDMI port - Wireless handheld transmitter or mic/Line Out - Fitted with speaker / Amplifier and Inbuilt battery - Facility to connect auxiliary source - Built in Digital MP3 recording, playback and Bluetooth facility - Output connector for mixout, Phone socket to be connected to external amplifier for further amplification
Portable PA with Trolley System	- PA Amplifier with Trolley System - Audio Output : 55 Watts or higher - High quality Speaker - Wireless or wired handheld Integrated microphone - Operates on AC mains or external or built-in Rechargeable battery - Built-in MP3 Player with Bluetooth, Recorder, SD Card Remote Control, Built-in echo effects - Accessories required : Portable Speaker, 2 Microphone, Power cable, etc.
Portable PA System	- Power Source: Battery Powered, Corded Electric - Output Wattage 20-25 Watts or higher - Audio Input: 3.5mm (AUX), 6.3mm (Mic) or higher - Provision for connecting one wired microphone. - An AUX source, CD player or Mixer or phone jack - Wireless or wired handheld microphone - Operates on AC mains or external 12V DC or built-in Rechargeable battery - Built-in MP3 Player with Bluetooth, Recorder, SD Card Remote Control Built-in Digital echo effects

General Instructions: The Sound System has to be supplied with minimum one year warranty.

मैं/मेरी फर्म उक्त समस्त तकनीकी मापदण्ड पूर्ण करने हेतु बाध्य रहूँगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर


 Senior Scientist & Head
 KVK, ALWAR-1

(लिफाफा नं. 1 में रखना है)

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामान/उपकरणों के लिए निविदा दी है उनका/उनके मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ /हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति/धरोहर राशि को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, उसे रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(लिफाफा नं. 1 में रखना है)

PRICE FALL CLAUSE प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि हमने पोटियम एवं साउण्ड सिस्टम उपकरणों की जहां कहीं भी आपूर्ति की हैं, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को पोटियम एवं साउण्ड सिस्टम उपकरणों की आपूर्ति की जाती हैं तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(लिफाफा नं. 2 में रखना है)

**कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा (अलवर) पर पोडियम एवं साउण्ड सिस्टम आपूर्ति
सीमित निविदा हेतु वित्तीय दर**

1. निविदादाता का नाम :
2. पता :
.....
3. मोबाइल नंबर :
4. फर्म का जीएसटी नंबर :
5. PAN नंबर :

क्र. स.	पोडियम एवं साउण्ड सिस्टम (as per specification of tender)	दर प्रति नग (₹)	जीएसटी दर (%)	दर प्रति नग (जीएसटी एवं सभी करों सहित) (₹)
1	All In One Smart Podium System with Speaker			
2	Audio Podium System			
3	Portable PA with Trolley System			
4	Portable PA System			

मैंने सीमित निविदा की समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा मैं समस्त शर्तों के अनुसार उपरोक्त दरों पर पोडियम एवं साउण्ड सिस्टम उपकरण आपूर्ति करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर